



2026:AHC-LKO:40569

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4035 वर्ष 2026

राधाकृष्ण @ छोटक्के सिंह

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजीत कुमार सिंह

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 280/2025, धारा 80(2), 85 भा०न्या०सं० और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, थाना- लोनार, जिला हरदोई में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक के ससुर आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की बहू गर्भवती थी और उसका हीमोग्लोबिन लगातार सामान्य सीमा से नीचे था, जिसके लिए उसका इलाज चल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रहा था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक मृतक के शरीर पर मौजूद मृत्यु-पूर्व चोटों के बारे में अनभिज्ञ था। यह भी दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया कि जांच अधिकारी द्वारा अस्पताल के डॉक्टर का बयान भी दर्ज नहीं किया गया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि हालांकि जांच अधिकारी को सभी निर्देश उपलब्ध कराए गए थे, फिर भी उसने केवल अनुमान के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पहले भी इस दुर्घटना से संबंधित एक मामले में फंसा हुआ था। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है और आवेदक 20.02.2026 से जेल में है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में पूरी तरह से सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आवेदक और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के पेट पर पाए गए मृत्युपूर्व घाव का कोई स्पष्टीकरण नहीं है और मृत्यु का कारण आघात और मृत्युपूर्व घाव के कारण रक्तस्राव है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट, गवाहों के बयानों, चिकित्सा-कानूनी आख्या और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि गवाहों के बयानों में सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और आवेदक मृतक का ससुर है। इन परिस्थितियों में, न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. आवेदक राधाकृष्ण @ छोटक्के सिंह को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 280/2025 में 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 भा०न्या०सं० के तहत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक (क) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ख) आरोप तय करने; और (ग) धारा 351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि अधीनस्थ न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो अधीनस्थ न्यायालय इस चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और अधीनस्थ न्यायालय जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

जून 9, 2026

वीकेएस

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।